

05.09.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पेशी उपर। ONLINE खाता में डिफ़ी का
इंतगाल हो गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वी स्तर पर स्वीकार
कर दाखिल दफ़्तर करने का आदेश दिया जाता है। तब से
कम है।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

JCMS

2023/359